सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 21, सोमवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 13, 2025 Asvina 21, Monday, Saka 1947- October 13, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास एवं आवासन मण्डल

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 10, 2025

संख्या प.17(19)नविवि/नियम/2024 :-भरतपुर विकास प्राधिकरण, 2025 (2025 का अधिनियम-7) की धारा 2(4) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की विद्यमान अनुसूची में निम्न तालिका में वर्णित गांवों को सम्मिलित किया जाता हैः-

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

भरतपुर विकास प्राधिकरण रीजन में सम्मिलित किये जाने वाले नवीन राजस्व ग्रामों की तालिकाः-

क्र.सं.	जिला	तहसील	राजस्व ग्राम (अंग्रेजी)	राजस्व ग्राम (हिन्दी)
1	डीग	रारह	Abhaurra	अभोर्रा
2	डीग	रारह	Talfara	तालफरा
3	डीग	रारह	Nagla Bagha	नगला बाघा
4	डीग	रारह	Didwari	डिडवरी
5	डीग	डीग	Kasaut-1	कासोट-1
6	डीग	डीग	Kasaut-2	कासोट-2
7	डीग	डीग	Kaurer	कौरेर
8	डीग	डीग	JatoliKadeem	जाटोलीकदीम
9	डीग	डीग	Khedabrahman	खेड़ाब्राह्मण
10	डीग	डीग	Saamai	सामई
11	डीग	डीग	BarauliChauth	बरौलीचैथ
12	डीग	डीग	Shyamdhak	श्यामढ़ाक
13	डीग	डीग	Punchhari	पूंछरी
14	भरतपुर	नदबई	Gagwana	गगवाना
15	भरतपुर	नदबई	Chainpura	चैनपुरा
16	भरतपुर	नदबई	Bachhamdi	बछामदी
17	भरतपुर	नदबई	Atari	अटारी
18	भरतपुर	नदबई	Tohila	टोहिला
19	भरतपुर	नदबई	Kothenkalan	कौठेनखुर्द

20	भरतपुर	नदबई	Kohthenkhurd	कौठेनकलां
21	भरतपुर	नदबई	Alipur	अलीपुर
22	भरतपुर	नदबई	Nagla Mirchua	नगला मिर्चुआ
23	भरतपुर	नदबई	Bajhera	बझेरा
24	भरतपुर	नदबई	Basaiya Kalan	बसैया कलां

नोटः- भरतपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम-2025 की अनुसूची (210 ग्राम) में क्रम संख्या 42 पर नगला खोहरी तथा क्रम संख्या 83 पर नगला खोरी प्रविष्ट किये गये हैं जो कि एक ही है। अतः क्रम संख्या 83 पर प्रविष्ट राजस्व ग्राम नगला खोरी को अधिसूचना की सूची में से हटाया जाता है।

आज्ञा से,

रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।